(नियम 23)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

देवेन्द्रसिंह बनाम रामदेव गुर्जर (वगैरा)

किस्म मुकदमा प्रा-पत्र 111-120 नं० 168 सन 2022

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
2	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 23-6-22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
6/22	पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 फोलोकैम्प ग्राम माण्डल पचांयत समिति माडंल मे पेश हुई अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए ऐव तहसीलदार माडंल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थीगण का प्रा-पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। डॉ. पूजा सक्सेना उपखण्ड अधिकारी माण्डल प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021	

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2022

पीठासीन अधिकारी– डॉ. पूजा सक्सैना, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या – 168/22 प्रा०पत्र

श्री देवेन्द्र सिंह s/o श्री पर्वतसिंह राजपूत निवासी वानियारा तहसील-माण्डल (नगेरा)

–प्रार्थी

बनाम

श्री रामदेव s/o श्री गंभीर गुर्जर निवासी-नानकपुरा तहसील-माण्डल (नगेरा)
(सहखातेदार प्रा० पत्र संलग्न)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक– 23.06.22

::आदेश::

की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन कि ग्राम नानकपुरा पटवार हल्का दांता कला तहसील माण्डल में उसके /संयुक्त खाते की आराजी न. 106, 107, 108, 133, 134, 135 कुल किता 06 रकबा 1.2520 हैक्टेयर बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है।जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

...त प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 17-06-22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को ...लोकनार्थ से यह बात सिद्ध हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एव कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी ...ाने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा–फेरी ... का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए ...सर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम नानकपुरा पटवार हल्का दांता कला तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 106, 107, 108, 133, 134, 135 कुल किता 06 रकबा 1.2520 हैक्टेयर ....बिस्वा भूमि के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक माण्डल को 500/– रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी मे मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नही की जावें।

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2022

प्रतिलिपि:– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
डॉ. पूजा सक्सेना
माण्डल
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2022